

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या 810/14/ परीक्षा/संशोधित पाठ्यक्रम/2019

दिनांक:- 27-08-2019

परीक्षा अनुभाग

2019 का परिपत्र संख्या 17

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षाएवं सतत् व्यवसायिक विकास परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम।

महोदय/महोदया,

सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित विभागीय परीक्षाओं के संशोधित पाठ्यक्रम का अनुमोदन दिया है:

(i) राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा

(ii) सतत् व्यवसायिक विकास परीक्षा (सीपीडी-I, सीपीडी-II, एवं सीपीडी-III)

संशोधित पाठ्यक्रम (प्रति संलग्न) सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है और वेबसाइट पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। कोई हार्डकापी नहीं भेजी जाएगी।

2. राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम 2019 की मुख्य परीक्षा से लागू किया जाएगा, जिसे नवम्बर महीने में आयोजित करने की संभावना है।

3. सतत् व्यवसायिक विकास परीक्षा (सीपीडी-I, सीपीडी-II एवं सीपीडी-III) का संशोधित पाठ्यक्रम 2020 की मुख्य परीक्षा से लागू किया जाएगा।

4. राजस्व लेखापरीक्षा के संशोधित पाठ्यक्रम में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) समाविष्ट किया गया है।

अतः अध्यर्थियों को जीएसटी का आवश्यक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इस संबंध में जल्दी ही निर्देश जारी किए जाएंगे।

5. इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय
मनीष (कुमार)
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम एवं स्वरूप

- ❖ केवल दो पेपर होंगे जैसा नीचे उल्लेख किया गया है:-

पेपर 1 -	आरएई - 1 आयकर (सभी अभ्यर्थियों के लिए समान)	100 marks
पेपर 2 -	आरएई - 2 वस्तु एवं सेवाकर और विशिष्ट शाखा राजस्व	100 marks
	- भाग - I वस्तु एवं सेवाकर	40%
	- भाग - II विशिष्ट शाखा राजस्व	60%

- ❖ पेपर आयकर (आरएई -I) सभी शाखाओं के लिए होगा जैसा मौजूदा स्वरूप में है।
- ❖ इसी प्रकार आरएई -2 वस्तु एवं सेवाकर का भाग -I सभी शाखाओं के लिए समान होगा।
- ❖ आरएई - 2 की विशिष्ट शाखा राजस्व भाग - II, लेखापरीक्षा की प्रत्येक पृथक शाखा के लिए, जैसा नीचे दिया गया है:-

भाग का नाम	भाग का शीर्षक	लेखापरीक्षा की शाखाएं जिस पर लागू है
भाग II क	केन्द्रीय एवं राज्य राजस्व लेखापरीक्षा	सभी वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों और सभी सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों के अभ्यर्थियों के लिए
भाग II ख	रेलवे राजस्व लेखापरीक्षा	रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी अभ्यर्थियों के लिए
भाग II ग	डाक एवं दूरसंचार राजस्व लेखापरीक्षा	पी एंड टी लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी अभ्यर्थियों के लिए
भाग II घ	रक्षा राजस्व लेखापरीक्षा	रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी अभ्यर्थियों के लिए

आरएई-। आयकर (सभी शाखाओं के लिए) का संशोधित पाठ्यक्रम

समय सीमा:- 2 घंटे

अधिकतम अंक:- 100

क्रम सं.	विषयवस्तु	आवंटित अंक
1.	<p>(क) मूल अवधारणाएं अध्याय I- धारा 1,2, और 3 और अध्याय II- धारा 4,5, 5ए, 6,7,8 & 9</p> <p>निर्धारण वर्ष, पूर्व वर्ष, व्यक्ति, निर्धारिती, आय कर प्रभार, आय, सकल कुल आय, कुल आय और कर देयता, कृषि आय, छूट और कटौती के बीच अन्तर, विनिर्माण की परिभाषा, पूंजीगत परिसम्पत्ति, कम्पनी, उचित बाजार मूल्य, पूंजीगत प्राप्तियां बनाम राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय बनाम राजस्व व्यय, लेखांकन विधि, वैयक्तिक एवं कम्पनी की आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति और कर भार के बीच संबंध, आय की प्राप्ति एवं उपचय, भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी गई आय</p> <p>(ख) धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों और संस्थानों की आय</p> <p>अध्याय III-धारा 11,12,12ए & 13</p>	30
2.	<p>आय संगणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस)</p> <p>आईसीडीएस I लेखांकन नीतियां</p> <p>आईसीडीएस II मालसूची का मूल्यांकन</p> <p>आईसीडीएस III विनिर्माण अनुबंध</p> <p>आईसीडीएस IV राजस्व मान्यता</p> <p>आईसीडीएस V मूर्त निर्धारित परिसम्पत्तियां</p> <p>आईसीडीएस VI विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव</p> <p>आईसीडीएस VII सरकारी अनुदान</p> <p>आईसीडीएस VIII प्रतिभूतियाँ</p> <p>आईसीडीएस IX उधार लागतें</p> <p>आईसीडीएस X प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ</p>	5
3.	व्यवसाय या कारोबार से लाभ या मुनाफा सिद्धान्त और संगणना अध्याय IV (डी)	25

	प्रभार्यता, व्यवसायिक आय के निधारण को शासित करने वाले सामान्य सिद्धान्त, लेखांकन विधि, कटौती और भत्तों की योजना, मूल्यहास	
4.	पूंजीगत लाभ- सिद्धान्त और संगणना अध्याय IV (ई) पूंजीगत परिसम्पत्ति का अर्थ, पूंजीगत परिसम्पत्ति का हस्तांतरण, पूंजीगत लाभ की संगणना, प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, स्थानांतरण पर व्यय, अधिग्रहण की लागत, सुधार की लागत, अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत और सुधार की अनुक्रमित लागत; दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर की संगणना की समस्याएं	15
5.	अन्य स्वोतों से आय अध्याय IV (एफ) लाभांश, प्रतिभूतियों पर ब्याज	5
6.	हानियों का समंजन और अग्रेषण अध्याय VI धारा 70 से 80	5
7.	अन्तर्राष्ट्रीय कराधान अध्याय IX धारा 90,90ए एवं 91 दोहरी कराधान राहत अध्याय X धारा 92 से 92 सीढ़ी स्थानांतरण कीमत एवं अन्य-परिहार विरोधी उपाय “आर्मस लेंथ प्राइस” की संगणना के कुछ प्रासंगिक शब्दों की परिभाषा इत्यादि अध्याय XII -ए गैर आवासियों की कुछ आय से संबंधित विशेष प्रावधान	15

नोट: पिछले वित्त वर्ष की 1 अप्रैल तक संशोधनों पर विचार किया जाएगा

(ख) प्रस्तावित पूस्तकें/ संदर्भ सामग्री

- टैक्समैंस प्रत्यक्ष कर नियमपुस्तिका (खण्ड.I- अधिनियम)
- वर्ष का वित्त अधिनियम (पिछले वर्ष के वित्त अधिनियम के रूप में पढ़ा जाए)
- आय कर अधिनियम, 1961
- आय कर नियमावली, 1962
- वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आय संगणना और प्रकटन मानक

**आरएई- 2 का संशोधित पाठ्यक्रम
वस्तु एवं सेवाकर और विशिष्ट शाखा राजस्व**

समय सीमा 2 घंटे

अधिकतम अंक : 100

भाग - I : **वस्तु एवं सेवाकर** **40 प्रतिशत**
(सभी शाखाओं के लिए)

भाग - II : **विशिष्ट शाखा राजस्व** **60 प्रतिशत**
(उस शाखा पर आधारित जिससे अभ्यर्थी संबंधित हो)

भाग - I **वस्तु एवं सेवाकर** **40 प्रतिशत**

(क) पाठ्यक्रम और विषय

क्रम संख्या	विषय वस्तु	आवंटित अंक
1.	संवैधानिक पहलू, जीएसटी परिषद्, जीएसटी का प्रशासन, निर्धारण और लेखापरीक्षा, दोहरा जीएसटी माडल, जीएसटी (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम 2017, जीएसटी नेटवर्क	8
2.	सीजीएसटी एवं आईजीएसटी का उद्घग्रहण और संग्रहण - सीजीएसटी/आईजीएसटी कानून लागू करना, समग्र और मिश्रित आपूर्ति सहित आपूर्ति की अवधारणा, अन्त राज्य आपूर्ति, राज्यान्तरिक आपूर्ति, समुद्री सीमा में आपूर्ति, कर का प्रभार, कर से छूट, संयोजित उद्घग्रहण, आईजीएसटी का संवितरण	8
3.	आपूर्ति का स्थान, आपूर्ति का समय और मूल्य	8
4.	इनपुट कर क्रेडिट, जीएसटी देयता की संगणना, जीएसटी की प्रक्रिया - पंजीकरण, कर बीजक, क्रेडिट एवं डेबिट नोट्स, इलेक्ट्रानिक बिलटी, लेखे और अभिलेख, रिट्टन, आरक्षित प्रभार सहित कर का भुगतान, प्रतिदाय, फुटकर कार्य, ई-कामर्स से संबंधित प्रावधान, जीएसटी फार्मस (जीएसटी आरईजी - 01, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 10,	8

	जीएसटी पीएमटी 01, जीएसटी- आरएफडी- 01, जीएसटी आईटीसी- 01)	
5.	कुछ मामलों में भुगतान का दायित्व, निरीक्षण, तलाशी अभिग्रहण और गिरफ्तारी, मांग और वसूली, अपराध और शास्तियां, मुनाफाखोरी विरोधी, अग्रिम विनिर्णय, अपील और पुनरीक्षण, सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत अन्य अवशिष्ट प्रावधान	8

- (ख) निम्नलिखित पुस्तकों/ संदर्भ सामग्री प्रस्तावित है
- (i) टेक्समेंस जीएसटी मैनुअल विद जीएसटी ला गाइड
 - (ii) सेनटैक्स जीएसटी ला टाइमस (नवीनतम प्रकाशन)
 - (iii) हैंडबुक आफ जीएसटी इन इंडिया : कन्सेप्ट एंड प्रोसिजर्स राकेश गर्ग द्वारा

भाग – II

विशिष्ट शाखा राजस्व

60 प्रतिशत

भाग – II ए	केन्द्रीय एवं राज्य राजस्व लेखापरीक्षा
भाग – II बी	रेलवे राजस्व लेखापरीक्षा
भाग – II सी	डाक एवं दूरसंचार राजस्व लेखापरीक्षा
भाग – II डी	रक्षा राजस्व लेखापरीक्षा

खण्ड – II ए केन्द्रीय और राज्य राजस्व लेखापरीक्षा

60 प्रतिशत

भाग – I केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और राजस्व लेखापरीक्षा नियमावली (10 अंक)

(क) पाठ्यक्रम और विषय

क्रम संख्या	विषय वस्तु	आवंटित अंक
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा नियमावली के प्रावधान (अध्याय 1, 3, 4, 5, 8, 11, 14 से 17, 19, 20 यथा संशोधित, 21, 22 और 24)	5
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ नियमावली के प्रावधान (खण्ड - IV का अध्याय 24 और खण्ड - V का अध्याय 27)	5

(ख) पुस्तकों/संदर्भ सामग्री

- (i) आर. के जैन की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमपुस्तक
- (ii) आर. के जैन का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ
- (iii) राजस्व लेखापरीक्षा नियम पुस्तक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

भाग – II सीमा शुल्क एवं विदेशी व्यापार नीति (30 अंक)

(क) पाठ्यक्रम और विषय

क्रम संख्या	विषय वस्तु	आवंटित अंक
1.	(क) संवैधानिक प्रावधान और मूल अवधारणा : परिभाषाएं, आयात और निर्यात शासित करने वाली प्रक्रियाएं, वेयरहाउसिंग, बैगेज, खोज और जब्ती, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय I, III, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI और XVII में निहित अपील और संशोधन (ख) सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की सं. 51 (धारा 1 से धारा 13) विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999	10
2.	शुल्कों का उद्ग्रहण और संग्रहण : मूल सीमा शुल्क, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, प्रतिकर सैस, प्रति पाटन शुल्क, सेफगार्ड डयूटी, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की परियोजना आयात में निहित (i) धारा 1 से 10 और अध्याय नोट से अध्याय 98 और (ii) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय V, Vए	8
3.	प्रतिदाय और चुंगी वापसी: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 26 से 27ए-अध्याय V, अध्याय X	2
4.	विदेश व्यापार नीति (2015-20): विधिक संरचना, परिभाषाएं, शुल्क छूट और निर्यात हेतु छूट योजनाएं, विदेश व्यापार समझौता में निहित विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 एफटीपी का अध्याय 9 और शब्दावली एफटीपी के अध्याय 3,4,5,6 और 7	5
5.	सेज अधिनियम और नियमावली के प्रावधान अध्याय I, II, IV, VI और VII धारा 47, 49, 50 से 56	3

	ख. अध्याय IV, V और VI और अनुलग्नक I—सेज में यूनिटों के निष्पादन की वार्षिक निगरानी के लिए दिशानिर्देश	
6.	राजस्व लेखापरीक्षा नियमावली के प्रावधान : अध्याय 20	2

(ख) प्रस्तावित पुस्तकों/संदर्भ सामग्री

- (i) आर के जैन की सीमा शुल्क विधि नियमपुस्तक
- (ii) आर के जैन का सीमा शुल्क टैरिफ
- (iii) विदेश व्यापार नीति, 2015-20, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
- (iv) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम और विशेष आर्थिक जोन नियमावली

विदेशी व्यापार नीति के लिए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइटें <http://www.cbic.gov.in/> <http://dgft.gov.in/> <http://sezindia.nic.in/index.php>

भाग-III राज्य राजस्व (20 अंक)

(क) पाठ्यक्रम और विषय

क्रम सं.	विषयवस्तु	आवंटित अंक
1.	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 की सं. 18) के प्रावधान	4
2.	मूल्य वर्धित कर, लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों के प्रावधान (भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी)	
3.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधान ड्राइवर की लाइसेंसिंग, मोटर वाहन का पंजीकरण और अपराध, अधिनियम के अध्याय II, IV और XIII में निहित शास्त्रियां और प्रक्रियाएं शासित करने वाले प्रावधान	4
4.	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधान भाग I प्रारंभिक भाग II पंजीकरण – स्थापना भाग III पंजीकरण दस्तावेज़ भाग VI पंजीकरण के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत करना भाग XI पंजीकरण अधिकारियों के कर्तव्य और उनकी शक्तियां भाग XIII पंजीकरण, तलाशी और प्रतियों के लिए फीस	4
5.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रावधान अध्याय I प्रारंभिक अध्याय II स्टाम्प शुल्क अध्याय VI सदर्भ एवं पुनरीक्षण	4
6.	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधान अध्याय I प्रारंभिक अध्याय II पूर्वेक्षण और खनन कार्य पर सामान्य प्रतिबंध	4

(ख) प्रस्तावित पुस्तकें

(i) वेल्यू एडड टैक्स आडिटिंग गाइडलाइन्स (भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी)

(ii) अन्य सभी विषयों के लिए, उपरोक्त तालिका में प्रासंगिक अधिनियमों का उल्लेख किया गया है।

(क) पाठ्यक्रम और विषय

क्रम संख्या	विषय वस्तु
1.	यातायात विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता (वाणिज्यिक)
2.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमपुस्तक (खण्ड I एवं खण्ड II)
3.	आईआरसीए कोचिंग शुल्क (सभी भाग एवं खण्ड)
4.	आईआरसीए माल शुल्क (सभी भाग एवं खण्ड)
5.	आईआरसीए सैन्य टैरिफ
6.	आईआरसीए रेड टैरिफ
7.	रेलवे लेखापरीक्षा नियमपुस्तक – भाग – IIII अर्जन की लेखापरीक्षा

नोट: सभी विषयों के समान अंक है।

(ख) पुस्तकें/संदर्भ सामग्री

क्रम संख्या	संहिता/नियमपुस्तक/टैरिफ का नाम	नवीनतम उपलब्ध प्रकाशन	संहिता/नियमपुस्तक/टैरिफ में संबंधित विषय
1.	यातायात विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता (वाणिज्यिक)	मई 2015 तक शुद्धि पर्ची	संहिता वाणिज्यिक विभाग के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अनिवार्य सिद्धांतों और नीति निर्देशों का प्रतीक है।
2 (क)	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमपुस्तक (खण्ड I)	1992 संस्करण	यह नियमपुस्तक कोचिंग यातायात से संबंधित है।
2 (ख)	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमपुस्तक (खण्ड II)	1991 प्रकाशन	यह नियमपुस्तक माल यातायात एवं विविध विषयों से संबंधित है।
3.	आईआरसीए कोचिंग शुल्क (सभी भाग एवं खण्ड)	मई 2014 मार्च 2015	1) भाग I खण्ड I - सामान्य नियम 2) भाग I खण्ड II - छूट 3) भाग II - कोचिंग दर तालिका 4) भाग III - पार्सल दर तालिका
4.	आईआरसीए माल टैरिफ (सभी भाग एवं खण्ड)	अप्रैल 2015	1) भाग I खण्ड I - सामान्य नियम 2) भाग I खण्ड II - वस्तुओं का

			दर्गीकरण 3) भाग II - भाडा दर तालिका
5.	आईआरसीए सैन्य टैरिफ ..	1986	सैन्य यातायात के लिए नियम
6.	आईआरसीए रेड टैरिफ -	अगस्त 2000	खतरनाक माल के लिए नियम
7.	रेलवे लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका (सीएजी कार्यालय द्वारा जारी)	2001 प्रकाशन	भाग III रेलवे अर्जन की लेखापरीक्षा करने के लिए प्रक्रियाओं, नियमों एवं निर्देशों से संबंधित है।

नोट : टैरिफ के मामले में, पिछले वर्ष तक 1 अप्रैल से लागू संस्करण पाठ्यपुस्तक होगी।

(क) पाठ्यक्रम और विषय

क्रम सं.	विषयवस्तु	आवंटित अंक
1.	डाक एवं दूरसंचार नियमपुस्तक खण्ड-। भाग-। (वैधानिक अधिनियम) के प्रावधान भारतीय डाक घर अधिनियम धारा 1 से 13, 16, 17, 28 से 36	
2.	डाक एवं दूरसंचार नियमपुस्तक खण्ड-।, भाग-॥ (वैधानिक अधिनियम) टैलीग्राफ वायर्स (गैर कानूनी स्वामित्व) अधिनियम, 1950 के अध्याय 3 और उसके अधीन बने नियमों को छोड़कर सम्पूर्ण पुस्तक	12
3.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम 1997 के प्रावधान	3
4.	डीओटी द्वारा संकलित दूरसंचार लेखे एवं वित्त नियमावली के प्रावधान, अक्टूबर 2017	9
5.	डीओटी द्वारा जारी लाइसेंसिंग और वित्त संबंधी पत्रों के संकलन	6
6.	केन्द्र सरकार लेखे (प्राप्तियां और भुगतान) नियमावली – 1983 के प्रावधान भाग - ॥ सरकारी राजस्व, बकाये इत्यादि की प्राप्ति और उन्हें सरकारी लेखों में जमा करना	6
7.	पीएंडटी वित्तीय नियम पुस्तिका खण्ड ॥ के प्रावधान अध्याय ॥।- राजस्व प्राप्तियां	6
8.	पीएंडटी लेखापरीक्षा नियमपुस्तक भाग-॥ (निरीक्षण) के प्रावधान टेलिफोन डिस्ट्रिक्ट (कम्पयूटरीकृत सिस्टम) की टेलिफोन राजस्व लेखाकंन शाखा की लेखापरीक्षा अध्याय 2 धारा –एच	6
9.	कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान कम्पनी के लेखे, अध्याय IX लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक अध्याय X, सरकारी कम्पनियां अध्याय XXIII	6

10	भारत सरकार, निगम मामला संचालन द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखाकंन मानक (इडं एएस)	6
----	---	---

(ख) निम्नलिखित पुस्तके प्रस्तावित हैं:

सभी विषयों के लिए, उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रासंगिक अधिनियम/ नियम/ नियमावलियाँ / मानक

(क) पाठ्यक्रम और विषय

क्रम संख्या	विषय वस्तु	आवंटित अंक
1.	<p>सीएजी एमएसओ (लेखापरीक्षा) के प्रावधान (दूसरा संस्करण - 2002)</p> <p><u>धारा II</u> अध्याय 3 'प्राप्तियों की लेखापरीक्षा', अध्याय 4 'भडांर एवं स्टाक के लेखों की लेखापरीक्षा', <u>धारा III</u> अध्याय 23 पैरा 3.23.2 'वर्कशाप लेखे' और पैरा 3.23.4 'राजस्व वापसी' <u>धारा III</u> अध्याय 13 'उधारियों, क्रृष्ण एवं अग्रिम, राजस्व अग्रिम, स्थायी अग्रिम की लेखापरीक्षा'</p>	6
2.	<p>सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधान</p> <p>अध्याय 2 - वित्तीय प्रबंधन की सामान्य प्रणाली</p> <p>अध्याय 3 - बजट सूचीकरण और कार्यान्वयन (पैरा 42 से 56)</p> <p>अध्याय 5 - निर्माण कार्य</p> <p>अध्याय 6 - वस्तु एवं सेवा की अधिप्राप्ति</p> <p>अध्याय 7 - इंवेंट्री प्रबंधन</p> <p>अध्याय 12 - राजस्व वापसी</p> <p>परिशिष्ट II - प्राप्तियों के विस्तृत आकंलनों को तैयार करने की प्रक्रिया</p>	5
3.	<p>केन्द्र सरकार प्राप्तियां और भुगतान नियमावली के प्रावधान</p> <p>भाग - I प्रारंभिक एवं सामान्य सिद्धांत</p> <p>भाग - II सरकारी राजस्व, बकाये आदि की प्राप्तियां और उन्हें सरकारी खाते में जमा करवाना</p> <p>भाग - III सरकारी लेखों से निकासी</p>	5
4.	<p>वित्तीय विनियमन भाग - II के प्रावधान</p> <p>अध्याय II - वसूलियां एवं कटौतियां</p>	4

	<p>परिशिष्ट – 8 उन अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जो रोकड़ प्राप्ति और प्रबंधन से संबंधित हों</p> <p>परिशिष्ट 11 – सैन्य स्कूलों में लड़कों की व्युशन फीस की वसूली</p> <p>अध्याय – II पैरा 7 से 18</p>	
5.	<p>सैन्य अभियन्ता सेवा के लिए विनियमन के प्रावधान</p> <p>पैरा 912 से 916, परिशिष्ट 'ओ' तथा विद्युत एवं जल और सम्बद्ध मामलों में दरों के निर्धारण तथा वसूली से संबंधित नियम।</p> <p>अध्याय IV एवं V – पैरा 310 से 313, 559, 560 और विभागीय प्रभार से संबंधित तालिका 'एच'</p> <p>अध्याय VIII – धारा 38, पैरा 645 और परिशिष्ट 'जे'</p> <p>अध्याय IX – राजस्व और प्राप्तियां</p> <p>अध्याय XII धारा 56 तालिका 'के' ठेकेदारों को टी एवं फी किराए पर देने से संबंधित संविदाओं (आईएएफडब्ल्यू 2249) की सामान्य शर्तें</p>	5
6.	<p>एमईएस लेखाकार नियमावली के एमईएस फार्मेशन के लेखा अनुभाग में निर्माण कार्य की प्रक्रिया के संबंध में निर्देशों की नियमपुस्तक के प्रावधान</p> <p>अध्याय VII राजस्व</p>	2
7.	<p>एमईएस स्थानीय लेखापरीक्षा नियमपुस्तक के प्रावधान</p> <p>भाग III – भवनों, किराया निर्धारण लेजर, राजस्व लेजर, जल एवं विद्युत प्रभार, वापसियों आदि के रजिस्टर की स्थानीय लेखापरीक्षा से संबंधित पैरा 153, 164 से 185</p> <p>भाग IV – भूमि, वृक्ष, उपभोग इत्यादि विद्युत और जल के लिए मीटर रीडर बुक, उपभोक्ता लेजर इत्यादि से प्राप्त राजस्व रजिस्टर की लेखापरीक्षा से संबंधित पैरा 241 से 244</p>	4
8.	<p>रक्षा सेवाएं, लेखापरीक्षा विभाग, की नियमपुस्तक खण्ड-I के प्रावधान (भाग सी)</p> <p>राजस्व लेखों की लेखापरीक्षा से संबंधित अध्याय 29, भाग ख, पैरा 619 से 637</p>	2
9.	<p>सैन्य भूमि नियमपुस्तिका</p> <p>अध्याय II – भूमि का वर्गीकरण एवं अन्तरण</p>	3

	अध्याय V – सैन्य सम्पदा अधिकारियों द्वारा भूमि प्रबंधन अध्याय VI – छावनी परिषद् द्वारा प्रबंधन	
10.	सेना के लिए स्टोर लेखांकन नियंत्रण (1965 संस्करण) के प्रावधान अध्याय – II किराए, क्रृषि इत्यादि पर भडांर के निर्गम से संबंधित पैरा 27 से 30 पैरा 50 अधिशेष लकड़ी इत्यादि का निपटान, पैरा 84 से 93 सी.पी. निर्गम अनुभाग अध्याय V – भडांर और दरों का मूल्यांकन अध्याय VII – अधिशेष और अप्रचलित भडांर का निपटान	5
11.	सेना स्थानीय लेखापरीक्षा नियमपुस्तक <u>भाग I. खण्ड - I</u> अध्याय – III – पैरा 123 <u>भाग I. खण्ड - II</u> अध्याय – IV अधिशेष भडांर के निपटान से संबंधित पैरा 157, 186,260,261,262, और 263	4
12.	क्वार्टर और किराए और समय समय पर जारी संबंधित आदेश आई.ए.ओ. 5/एस/48 सहित सम्पूर्ण पुस्तक	2
13.	चिकित्सा सेवाओं के लिए विनियमों के प्रावधान (1962) अस्पताल स्टोपेज और संबंद्ध वसूलियों और उससे संबंधित नियमों से संबंधित परिशिष्ट 5	2
14.	फैक्ट्री लेखांकन नियम के प्रावधान अध्याय II – भडारों का लेखांकन – पैरा 13 (ख) और (ग) अध्याय III – श्रम का लेखांकन पैरा 38 और परिशिष्ट 'जी' अध्याय IV – लागत लेखांकन, पैरा 52 और 53	3
15.	रक्षा सेवाएं लेखापरीक्षा विभाग, नियमपुस्तक – खण्ड III (आयुध एवं आयुध उपकरण फैक्ट्रीयां) 2001 संस्करण के प्रावधान भुगतान मामले, नमूना जांच लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, लागत से संबंधित पैरा	3
16.	रक्षा लेखा विभाग कार्यालय नियमपुस्तक भाग VI (फैक्ट्रीयां) के प्रावधान	5

	<p><u>खण्ड I</u></p> <p>अध्याय IV, V एवं VI (आयुध फैक्ट्रीयां में लागत लेखांकन, श्रमिकों को भुगतान की विधि और आवंटन और सामग्री लेखांकन की प्रणाली)</p> <p><u>खण्ड II</u></p> <p>अध्याय IX एवं X (वार्षिक लेखा भाग/वित्तीय सलाह भाग)</p>	
--	---	--

(ख) प्रस्तावित पुस्तकें/संदर्भ सामग्री

सभी विषयों के लिए, उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रासंगिक अधिनियम/ नियम/ विनियम/ आदेश/ निर्देश/ नियमपुस्तकें

किसी भी त्रुटि के लिए इसका अंग्रेजी संस्करण देखें।